

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
11.11.2025	राज्य की ओर से लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त मय अधिवक्ता हाजिर। साक्ष्य अभियोजन में गवाह कोई हाजिर नहीं। गवाहान के अहकाम अदम तामील लौटे है। गवाह संख्या 9, 14, 17 को दिनांक 17.11.2025 को एवं गवाह संख्या 15, 18 को दिनांक 18.11.2025 को जरिये जमानती वारंट रुपये 2000/- से तलब हो। गवाहान के वारंट जरिये डीओ लैटर एसपी बाड़मेर को प्रेषित किये जावे। गवाहान के वारंट पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण पुराना व लक्षित प्रकरणों की सूची में शामिल है, अतः तामील हर सूरत में विशेष वाहक से करवाई जावे, अदम तामील की सूरत में तामील कुनिन्दा एवं एसएचओ स्पष्टीकरण सहित न्यायालय में उपस्थित हों। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 17.11.2025 को पेश हो।  सेशन न्यायाधीश बाड़मेर	मोतीचन्द